जिला खनन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

"जिनसे संबंधित हो"

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स आदर्श ब्रिक्श, प्रो0 प्रमोद चौधरी, ग्राम– मैले, पोस्ट– भैरोपुर, थाना– बिदुपुर, जिला– वैशाली (बिहार) द्वारा मौजा– करिहो, खाता सं0–179, 290, 92, 195, 193, 253, 292. प्लॉट सं0– & 2699, 3377, 3322, 2351, 2454, 2479, 2291, 2764, 3477, 2632, 2594, 2592, 2715, 2952, 2890, 2893, 2853, 2935, 3041, 3014, 2641, 2727. एवं रकवा– 1.30 हे0 क्षेत्र पर ईंट मिट्टी उत्खनन हेतु पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल करना चाहते है।

ईट मिट्टी उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र के मौजा– करिहो, खाता सं0–179, 290, 92, 195, 193, 253, 292. प्लॉट सं0– & 2699, 3377, 3322, 2351, 2454, 2479, 2291, 2764, 3477, 2632, 2594, 2592, 2715, 2952, 2890, 2893, 2853, 2935, 3041, 3014, 2641, 2727. एवं रकवा– 1.30 हे0 क्षेत्र के अतिरिक्त 500 मीटर के अन्दर (Contiguous) में अन्य कोई खनन पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र आवेदित नही है। प्रस्तावित क्षेत्र का कुल रकवा– 1.30 हे0 है, जो 5.00 हे0 से कम है।

यह प्रमाण पत्र केवल पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए मान्य है।

ह0/–
खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय
वैशाली।

ज्ञापांक 1350 /एम0, दिनांक 26/12/24

प्रतिलिपिः मेसर्स आदर्श ब्रिक्श, प्रो0 प्रमोद चौधरी, ग्राम– मैले, पोस्ट– भैरोपुर, थाना– बिदुपुर, जिला– वैशाली (बिहार) को सूचनार्थ।

26/12/24
खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय
वैशाली।

जिला खनन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर)

पत्रांक............................../एम0, नालन्दा दिनांक.....................................

सेवा में,

मेसर्स आदर्श ब्रिक्श
प्रो0– प्रमोद चौधरी
पिता– स्व0– विशुनी चौधरी
ग्राम– मैले, पोस्ट– भैरोपुर,
थाना– बिदुपुर, जिला– वैशाली (बिहार)

विषयः– **खनन योजना (Mining Plan) अनुमोदन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैशाली जिलान्तर्गत महुआ थाना मौजा–करिहो, खाता सं0–179, 290, 92, 195, 193, 253, 292. खेसरा नं0–2699, 3377, 3322, 2351, 2454, 2479, 2291, 2764, 3477, 2632, 2594, 2592, 2715, 2952, 2890, 2893, 2853, 2935, 3041, 3014, 2641, 2727. रकवा 1.30 हेक्टेयर में लघु खनिज साधारण ईट मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन संयुक्त बिहार पटना के पत्रांक–4156/एम0 पटना दिनांक– 27.12. 2016 के आलोक में निम्न शर्त्तो के साथ अनुमोदन किया जा रहा है।

1. खनन योजना का अनुमोदन 4212 घन मी0 प्रति वर्ष में साधारण ईंट मिट्टी के उत्पादन हेतु अनुमान्य किया गया है।
2. खनन कार्य से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति की प्राप्ति एवं संबंधित जिला खनन कार्यालय में खनन रॉयल्टी, मालिकाना शुल्क एवं अन्य देय राषि जमा कर खनन की अनुमति संबंधी अनुज्ञापत्र लेना अनिवार्य है।
3. साधारण ईंट मिट्टी खनन की गहराई सतह से 2.0 मी0 से अधिक नहीं होगा।
4. खनन कार्य ग्राउन्ड वाटर लेबल से कम से कम 2.0 मी0 उपर तक ही सीमित रखा जाएगा।
5. प्रस्तावित उत्खनन् की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जाएगी।
6. ईंट निर्माण, पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रयोजनार्थ साधारण ईंट मिट्टी के खनन/उत्खनन् से संबंधित क्रियाकलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।
7. खनन/उत्खनन् संबंधी क्रिया–कलाप कार्य क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।
8. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।
9. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।

10. ढुलाई के दौरान खोदी गई/उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जाएगें।
11. मिट्टी के खनन/उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोगवाहकों (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरूद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएँगे।
12. कामगारों/मजदूरों को पेय जल और सफाई संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
13. किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी असैनिक संरचना की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाएगी।
14. राष्ट्रीय पार्को और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन् की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15. खनन योजना में खनन कार्य बेंच बनाकर किया जाऐगा जिसकी अधिकतम उँचाई 0.75 मी0 एवं चौड़ाई कम से कम 3.0 मी0 होनी चाहिए।
16. खनन कार्य के दौरान निकाले गये टॉप स्वायल को व्यस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जाऐगा, जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फैला दिया जाऐगा।
17. खनन योजना में वार्णित भूमि के स्वामिस्व तथा भूस्वामियों की सहमती से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि करा लिया जाना अपेक्षित होगा।
18. खनन कार्य मानसून के समय में नहीं की जाएगी।
19. भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी गलती खनन योजना अथवा कार्य में पाई जाएगी तो खनन योजना स्वतः निरस्त माना जाएगा।

विश्वासजाजन

ह०/-

खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय
वैशाली।

ज्ञापांक......1349....../एम0 दिनांक.....26/12/24

प्रतिलिपिः— R.Q.P. प्रवीण कुमार सिन्हा, मगंल मार्केट, राजा बाजार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/12/24

खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय
वैशाली।